बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0 :–वि० प्रा० (I) न[1]–02/2012 /पटना, दिनांक–

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–12534 दिनांक–17.09.2018 में वर्णित प्रावधानानुसार (परिशिष्ट–'क') संविदा नियोजित कर्मियों को सेवा निवृत्ति की आयु तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक कार्य करने के संबंध में तथा मानदेय/अवकाश/अनुग्रह अनुदान/सेवा अभिलेख के संधारण/यात्रा/व्यय संविदा कर्मियों को हटाये जाने की स्थिति में अपील के प्रावधान/नियमितीकरण/भविष्य निधि बीमा/वार्षिक मूल्यांकन आदि के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिया गया है।

उक्त संकल्प संख्या–12534 दिनांक–17.09.2018 के परिशिष्ट ''क'' में दिये गये दिशा–निदेश से स्पष्ट है कि संविदा नियोजित कर्मियों की अवधि विस्तार की आवश्यकता अब नहीं है।

2. विभागीय आदेश 643 दिनांक–08.03.2018 द्वारा संविदा पर कार्यरत सहायक प्राध्यापकों का पुर्णनियोजन एक वर्ष के लिए किया गया था जिसकी सेवा अवधि दिनांक–07.03.2019 को समाप्त हो गयी है। इस प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–12534 दिनांक–17.09.2018 के परिशिष्ट ''क'' में दिये गये दिशा–निर्देश के आधार पर नियमानुकूल विभागान्तर्गत संकायवार रिक्त पदों पर संविदा पर पूर्व नियोजित निम्न 26 सहायक प्राध्यापकों को सेवा निवृत्ति की आयु तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो तक, के लिए कार्य करने एवं अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर या असंतोषप्रद सेवा के कारण या सेवानिवृति की सामान्य आयु होने पर अथवा नियमित नियुक्ति होने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। साथ ही संविदा नियुक्ति की अन्य शर्ते नियुक्ति के समय निर्गत नियुक्ति पत्र, एकरारनामा एवं क्षतिपूर्ति बंधक पत्र (जहाँ लागू हो) में अंकित यथावत् रहेगी। अवधि विस्तार की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है।

(I) अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर या असंतोषप्रद सेवा के कारण या सेवानिवृति की सामान्य आयु होने पर अथवा नियमित नियुक्ति होने पर सेवा समाप्त की जा सकती है।

Scanned by CamScanner

(II) संविदा पर नियोजित शिक्षको को भविष्य में नियमित, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति हेतु कोई भी दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(III) सूची में संलग्न सभी संविदा सहायक प्राध्यापक द्वारा नियोजित संस्थान के प्राचार्य के साथ आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर एकरारनामा निष्पादित किया जाएगा। एकरारनामा की तिथि से नया नियोजन माना जायेगा।

(IV) संविदा नियोजित सहायक प्राध्यापक की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्षों के अधीन होगी।

(V) इन संविदा नियोजित सहायक प्राध्यापक पर समय–समय पर निर्गत विभागीय निर्देश लागू होंगे।

(VI) संविदा पर नियोजित सहायक प्राध्यापक को विभागीय आदेश सं0–3086 दिनांक–16.11.2018 द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

(VII) संविदा नियोजन की अन्य शर्तें एकरारनामा/बंधक पत्र (जहाँ लागू हो) यथावत रहेंगी।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–12534 दिनांक–17.09.2018 के परिशिष्ट–"क" में दिये गये दिशा–निर्देश के आधार पर नियमानुकूल उपर्युक्त वर्णित कंडिका–2 तथा अन्य बिन्दुओं के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित किया जाता है।

4. इस आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पदनाम/संकाय का नाम	संस्थान का नाम
1	2	3	4
1.	डॉ० सूरज सिंह सिसौदिया,	सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी	बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर
2.	डॉ० मिनल विजय,	सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी	पूर्णियाँ अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णियाँ
3.	श्री अनिल कुमार सिन्हा,	सहायक प्राध्यापक, गणित	सीतामढ़ी अभियंत्रण महाविद्यालय, सीतामढ़ी
4.	श्री राम प्रवेश सिंह,	सहायक प्राध्यापक, गणित	राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगूसराय

Scanned by CamScanner

5.	डॉ० प्रमोद कुमार,	सहायक प्राध्यापक, गणित	कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार
6.	डॉ० सरयुग मंडल,	सहायक प्राध्यापक, गणित	कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार
7.	डॉ० सुरेन्द्र कुमार राय,	सहायक प्राध्यापक, भौतिकी	सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल
8.	डॉ० राजीव कुमार झा,	सहायक प्राध्यापक भौतिकी	राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगूसराय
9.	डॉ० राजेश कुमार,	सहायक प्राध्यापक, भौतिकी	सीतामढ़ी इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीतामढ़ी
10.	डॉ० जयप्रकाश यादव,	सहायक प्राध्यापक, भौतिकी	सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा
11.	डॉ० योगेन्द्र कुमार,	सहायक प्राध्यापक, भौतिकी	गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया
12.	डॉ० नीलू बसंत,	सहायक प्राध्यापक, रसायन	बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर
13.	डॉ० अरूण कुमार,	सहायक प्राध्यापक, रसायन	सीतामढ़ी अभियंत्रण महाविद्यालय, सीतामढ़ी
14.	डॉ० राजेश्वर राय,	सहायक प्राध्यापक, रसायन	राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगूसराय
15.	डॉ० प्रभात भारती,	सहायक प्राध्यापक, रसायन	सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा
16.	डॉ० धनन्जय सिंह,	सहायक प्राध्यापक, रसायन	लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा
17.	श्री कंचन कुमार सिन्हा,	सहायक प्राध्यापक, यांत्रिकी	कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार
18.	श्री अरूण कुमार,	सहायक प्राध्यापक, यांत्रिकी	राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगूसराय

Scanned by CamScanner

उप कोषागार पदाधिकारी/सभी व्याख्याताओं (संलग्न सूची में)/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर (अपलोड करने हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.9.19

सरकार के संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

Scanned by CamScanner

19.	श्री नीलेश मिश्रा,	सहायक प्राध्यापक, यांत्रिकी	सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा
20.	श्री किशोर कुमार पूर्वे,	सहायक प्राध्यापक, यांत्रिकी	सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल
21.	श्री जितेन्द्र कुमार,	सहायक प्राध्यापक, यांत्रिकी	पूर्णियाँ अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णियाँ
22.	श्री मोतिउर्रहमान,	सहायक प्राध्यापक यांत्रिकी	मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी
23.	श्री प्रिय रंजन कुमार,	सहायक प्राध्यापक, यांत्रिकी	जमुई अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई
24.	श्री राजीव रंजन,	सहायक प्राध्यापक, यांत्रिकी	सीतामढ़ी इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीतामढ़ी
25.	श्री धीरेन्द्र कुमार,	सहायक प्राध्यापक, यांत्रिकी	शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम
26.	श्री रामचन्द्र सहनी,	सहायक प्राध्यापक, यांत्रिकी	पूर्णियाँ अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णियाँ

26.9.19

सरकार के संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– वि० प्रा० (I) न[1]–02/2012 3336 /पटना, दिनांक– 26.09.2019

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी ई–गजट वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगामी अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

26.9.19

सरकार के संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– वि० प्रा० (I) न[1]–02/2012 3336 /पटना, दिनांक– 26.09.2019

प्रतिलिपि– सभी प्राचार्य/ प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेनिक/ राजकीय महिला पोलिटेनिक संस्थान/ उप निदेशक (यो0)/ विभाग के सभी पदाधिकारी/ सभी कोषागार/

Scanned by CamScanner